Computer Registration No.3261/2026
CNR.NO.UPME010091832026

UPME010091832026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं01 (भ्र0नि0अधिनियम), मेरठ।

उपस्थित– (आलोक द्विवेदी) **उच्चतर न्यायिक सेवा,**

(जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6247)

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–2638/2026

नाजिश पत्नी फिरोज निवासी 323, गली नम्बर 5, किदवई नगर, थाना लिसाडीगेट, मेरठ।

––––आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0राज्य ––––––––विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–392/2026

अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 238, 3(5) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना–लिसाडीगेट, जिला–मेरठ।

दिनांक–07.07.2026

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता नाजिश पत्नी फिरोज की ओर से शपथपत्र से समर्थित करते हुए उपरोक्त मामला मुकदमा अपराध संख्या–392/2026 अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 238, 3(5) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–लिसाडीगेट, जिला–मेरठ, में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्रीमती रूकसाना ने दिनांक 02.06.2026 को थाना लिसाडीगेट, जिला मेरठ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम अमरसिंहपुर थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ की रहने वाली एक सीधी सादी गृहणी है। प्रार्थिनी की पुत्री हीना का निकाह दिनांक 10.6.2020 को सुऐब पुत्र शकील निवासी 100 फुटा रोड मिलन पैलेस के पास समर गार्डन थाना लिसाड़ीगेट जिला मेरठ के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। इस निकाह में प्रार्थिनी ने हीना को 11 नग सोने–चांदी के जेवरात व कीमती कपडे व 31 हजार रूप्ये नगद उसकी रूखसती में दिये थे लेकिन मेरी पुत्री हीना के द्वारा ले जायें गये सामान से ससुराल वाले पति सुऐब ससुर शकील जेठ जावेद व फिरोज जेठानी श्रीमति तबस्सुम व श्रीमति नाजिश व नन्दै आयशा व कौसर खुश नहीं थे और कम सामान का ताना देकर प्रार्थिनी की पुत्री से पूरा दहेज मोटर साईकिल डबल बैड, फर्नीचर, फ्रिज व वांशिग मशीन व इलैक्ट्रोनिक सामान व घर के जरूरत के सामान की मांग करते थे। प्रार्थिनी की पुत्री ने उपरोक्त ससुराल वालों से कहा था कि मेरे घरवालों पर जब भी पैसे बनेगे तभी उपरोक्त दहेज लाकर दे दूंगी लेकिन ये लोग मेरी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडना देते थे प्रार्थिनी की पुत्री ने प्रार्थिनी को सारी बातें घर पर आकर प्रार्थिनी को बताई थी

Computer Registration No.3261/2026
CNR.NO.UPME010091832026

प्रार्थिनी ने कभी 5 हजार रूप्ये तो कभी 2 हजार रूप्ये व खाने पीने का सामान देती रहती थी। प्रार्थिनी की पुत्री शादी के बाद से ही उपरोक्त लोगों के जुल्म व सितम सह रही थी और प्रार्थिनी की पुत्री हीना कहती थी कि मेरा गृहस्थ जीवन बर्बाद ना हो व उनके जुल्म व सितम सहती रही प्रार्थिनी ने अपनी पुत्री हीना को सामान देने के लिए दिनांक 15.05.2026 का समय हीना के पति व उपरोक्त ससुराल वालों को दिया था कि मैं सारा सामान भेज दूंगी लेकिन दिनांक 08.05.2026 को समय करीब 8:30 बजे रात्रि हीना ने अपने पति सुऐब के फोन नं 9058308021 से प्रार्थिनी के फोन नं0 8958633778 पर कल की तो प्रार्थिनी की पुत्री काफी घबरायी हुई थी और धीरे–धीरे बोल रही थी कि तुम मोटर साईकिल व सोने की चेन सामान में लेकर आना वरना ये लोग मुझे जान से मार देगें इन लोगों को किसी ने बताया है कि मोटर साईकिल व चैन लेकर नहीं आ रहे हो और ये लोग मुझ पर आए दिन रात दिन अत्याचार कर रहे है। दिनांक 09.05.2026 को प्रार्थिनी को सूचना मिली कि प्रार्थिनी की पुत्री का देहान्त समय 3:45 बजे शाम को हार्ट अटैक से हो गया है प्रार्थिनी व उसके पति इकरामुद्दीन व पुत्र अकरम व पुत्री नरगिस व पुत्रवधु नसरीन व पुत्र असलम व गांव के काफी लोग हीना के घर पहुंचे तो हीना के ससुराल वालों ने प्रार्थिनी व उसके परिवार वालों से बोले कि अभी हीना का गुसल करा रहे है। उसके बाद मय्यत को देख लेना हम सभी लोग रो पीट रहे थे। हीना के पति सुऐब, ससुर शकील, जेठ जावेद व फिरोज व नन्दे आयशा व कौसर व जेठानी तबस्सुम व नाजिश व अन्य उनके परिवार के लोगों ने प्रार्थिनी व उसकें परिवार वालों को हीना की मय्यत दिखाने से मना करने लगे हम लोगों ने जब जबरदस्ती की तो हीना की गर्दन लटकी हुई थी गले पर नीले रंग के निशान हो रहे थे तथा सीने पर नाखून व खून के निशान थे और सीने पर वरम सा आ रहा था ऐसा लग रहा था कि उपरोक्त लोगों ने उनकी दहेज की मांग ना पूरी ना होने के कारण उसकी हत्या की हो। ये लोग मेरी पुत्री हीना को जबरदस्ती हमसे छीनकर बिना पुलिस के सूचना दिये दफीना करने चले गए जबकि उनके मौहल्ले का कोई भी व्यक्ति दफीना करने नहीं गया। जब हमने हीना के कमरे में जाकर देखा तो हीना की कमरे की पंखे की पंखुडी काफी मुडी हुई थी तो हमें लगा कि इन लोगों ने मेरी पुत्री को गला घोट कर उसकी हत्या की है। वहां पर काफी हंगामा, गहमा गहमी व औरतो व मदों में काफी कहा सुनी हुई किसी ने पुलिस फोन कर दिया चौकी समर गार्डन थाना लिसाड़ीगेट की पुलिस के दो तीन सिपाही आए ओर उन पुलिस वालों ने हमें डराया धमकाया कि जो हो गया सो हो गया वहां के आस पास के लोग प्रार्थिनी की मिटटी में भी शामिल नहीं हुए क्योंकि उपरोक्त लोगों ने हीना को मारते हुए देखा था ओर सीसीटीवी फुटेज में प्रार्थिनी की पुत्री भागती हुई नजर आई है समर गार्डन पुलिस चौकी की पुलिस वालों ने उपरोक्त लोगों से मोटी रकम लेकर मेरी पुत्री को बिना मैडिकल/पोस्टमार्टम कराये उपरोक्त लोगों से दफीना करा दिया है। उसी दिन प्रार्थिनी की पुत्री नरगिस की हालत खराब हो गई जिसे डक्टर शमशुददीन परीक्षितगढ़ के इलाज में दो दिन तक रखा उसके बाद प्रार्थिनी के पुत्र अकरम की तबियत अपनी बहन मृतक हीना को देखकर ज्यादा हालत खराब हो गई उसे 3–4 दिन मंशा हस्पिटल परीक्षितगढ व रेखा हस्पिटल परीक्षितगढ व डा0 शमशुददीन परीक्षितगढ के द्वारा इलाज कराया गया आज भी दोनों की तबियत

Computer Registration No.3261/2026
CNR.NO.UPME010091832026

अपनी बहन की हालत को देखकर काफी खराब है और दोनो बहन भाई रो–रो कर बुरा हाल है। प्रार्थिनी की पुत्री की ससुराल वालों के आस पास के लोगों ने हीना की मृत्यु उपरोक्त ससुराल वालों द्वारा करना बताया है, न्यायहित में प्रार्थिनी की पुत्री हीना की लाश को कब्रिस्तान से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी आज थाना लिसाड़ी गेट आयी है रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त ससुराल वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में आवेदिका/अभियुक्ता का संक्षेप में कथन है कि उसे मृतका के पति का पारिवारिक सदस्य होने के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता मृतका व मृतका के पति से अलग रहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नही बताई गयी है। दहेज मांगे जाने की तिथि, माह का अंकन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही किया गया है। वह घरेलू महिला है। वह धारा 480 बीएनएसएस के अन्तर्गत जमानत पाने की अधिकारी है। वह विवेचना में सहयोग करेगी। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने पर उसकी छवि धूमिल होगी। वह उचित जमानत दाखिल करने के लिए तैयार है। निवेदन किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता को झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। उसका कोई विशेष भूमिका नही बताई गयी है। निवेदन किया गया कि अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध किया गया तथा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना। जमानत पत्रावली, थाने की आख्या, व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदिका/अभियुक्ता पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करने व मांग पूरी न होने पर दहेज हत्या करने व बिना पुलिस को सूचना दिये दफीना कराये जाने का अभियोग है। वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। तहरीर में ही इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादिनी की पुत्री हिना का निकाह दिनांक 10.06.2020 को सुऐब पुत्र शकील के साथ हुआ था। निकाह के बाद से ही हिना के ससुरालजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और मांग पूरी न होने के कारण उसकी पुत्री की हत्या कर दी गयी। जब वादिनी व उसके परिवारजन ने हिना की मय्यत दिखाने के लिए कहा तो हिना के ससुरालजन ने मना किया। जबरदस्ती की तो हिना की गर्दन लटकी हुई थी। गले पर नीले रंग के निशान थे व सीने पर नाखून व खून के निशान थे और सीने पर वरम सा आ रहा था। ये लोग उसकी पुत्री को जबरदस्ती छीनकर बिना पुलिस को सूचना दिये दफीना कराने चले गये। लाश को

Computer Registration No.3261/2026
CNR.NO.UPME010091832026

कब्रिस्तान से निकालकर पोस्टमार्टम कराये जाने का निवेदन भी तहरीर में किया गया है।

केसडायरी के अवलोकन से विदित है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है और उसे मृतका की जेठानी के रूप में अंकित किया गया है। निकाह में दिये गये सामान की सूची भी विवेचक द्वारा केसडायरी के साथ सलग्न की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा शव को कब्रिस्तान से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराये जाने के आदेश भी सलग्न सीडी किये गये हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीडी के साथ सलग्न की गयी है। वादिया के बयान भी विवेचक द्वारा लिये गये है जिसमें वादिनी ने घटना का समर्थन करते हुए बयान दिया है। अन्य गवाहान मृतका के भाई के बयान भी सीडी में सलग्न किये गये है जिन्होनें भी घटना का समर्थन किया है। थाने से प्राप्त आख्या में भी आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना कारित किया जाना अंकित किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

प्रस्तुत मामले की घटना में आवेदिका/अभियुक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के लिए अपराध की गंभीरता महत्वपूर्ण घटक है।

अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का न्यायसंगत एवं पर्याप्त आधार नहीं है। उक्त प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता नाजिश पत्नी फिरोज की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–07.07.2026

(आलोक द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय सं01 (भ्र0नि0अधिनियम), मेरठ।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6247

This is uncertified copy for information reference. For authentic copy please refer to certified copy.